फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री कानसिंह चौहान पिता श्री डाऊसिंह चौहान निवासी गांव मु.पो. सेमलिया, तहसील भीम जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 97/2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— एफ.1( )सू0अ0,05/2025/929 दिनांक 11.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 20.08.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में इप्सित सूचना आदेश क्रमांक जरिये मिसल नम्बर 72/74 दिनांक 03.03.1974 खसरा नम्बर 1811 व 1812 टिला पिता भूरा के बजाय नन्दा सिंह के नाम दर्ज किया गया व टिला के नाम से खारिज किया गया। उस आदेश की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। इस कार्यालय के पत्रांक 745 दिनांक 22.08.2025 से प्रार्थी को सूचित करते हुए अवगत कराया कि ईप्सित सूचना विशिष्टिविहीन होने से अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियां अंकित करना व सूचना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित अधिनियमानुसार, सामग्री से निष्कर्ष निकालकर, तथ्यो को खोजकर उपलब्ध कराना प्रावधानो के तहत प्रावधित नहीं है इस हेतु विशिष्टियां अंकित कर व सूचना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या पत्रादि हो तो प्रस्तुत कर आवेदन करने का श्रम करे इस संबंध में प्रार्थी को जरिये डाक से सूचना प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि इस कार्यालय के पत्रांक 745 दिनांक 22.08.2025 से अवगत कराया गया। किन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। जिसके अभाव में सूचना तक पहुंच बनाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा चाही गई वांछित सूचना विशिष्टियॉविहीन होने और उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 745 दिनांक 22.08.2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टियां अंकित कर व वांछित सूचना से संबंधित कोई भी दस्तावेज या पत्रादि हो तो लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)